

27/9/17

पत्रावली पेश हुई। बहुलाय पक्षकारान  
अस्थित पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों  
में व्यस्त है, मिसल ज्ञानवा होकर आईव्या  
दिनांक 27/11/17 .... को देना हो।

पुख

27/11/17

पत्रावली पेश हुई। बहुलाय पक्षकारान  
अस्थित पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों  
में व्यस्त है, मिसल ज्ञानवा होकर आईव्या  
दिनांक 27/3/18 .... को देना हो।

पुख

अद्वैत

27/3/18

पत्रावली पेश हुई। बहुलाय पक्षकारान  
अस्थित पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों  
में व्यस्त है, मिसल ज्ञानवा होकर आईव्या  
दिनांक 12/6/18 .... को देना हो।

पुख

21.5-18

पत्रावली दिनांक 12-6-18 के स्थान पर 21.5-18  
दिनांक को कैम्प कांस्ट स्थान 2018  
में पेश हो। तदनुसार सभी पक्षकारान सूचित हो।

सहायक कलेक्टर (S.O.)  
पंजाब न्याय

21.5-18

पत्रावली काज राजस्व कैम्प कोर्ट न्याय काफ़ि  
द्वारा 2018 के कैम्प बख़ास में पेश हुई।  
इस वार्द की जानकारी मजिस्ट्रेट काज ली गई।  
जिससे जाहिर हुआ कि उत्पिवादी द्वारा  
वादशस्त्र शुमि श्लेय कथन की गई है।  
क़ाय की शुमि में वार्दी कानून कोई  
हक + हिस्सा नहीं मांग सकता।

क्रिया: बर्दा का बट सूँठे तथा सारहीन  
तश्चों के आकार पर होने के कारण  
श्वारिम किया जाता है पत्रावली  
फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक प्रिन्सिपल  
घोहर